

6214/2011



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

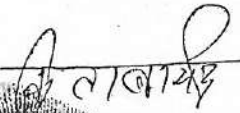
A 233281

अखलाक
कोषाधिकारी
09 DEC 2011
कोषागार, जामरा



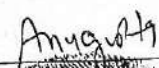
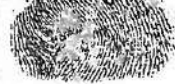
// लेखन का संक्षिप्त विवरण //

- 1- भूमि का प्रकार :- आवासीय
2- वार्ड / परगना :- हरोपर्वत वार्ड, आगरा
3- ग्राम / मौहल्ला :- ग्राम जगनपुर, आगरा
जो मुख्य मार्ग से 1000मीटर से भी अधिक
पीछे स्थित है
4- सम्पत्ति का विवरण :- जमीन मिन 0 खसरा नंबर 115
5- सम्पत्ति का क्षेत्र :- 1000 वर्गमीटर
6- सड़क की स्थिति :- रास्ता 9 मीटर चौड़ा
7- अन्य विवरण :- जमीन दो रास्ते एवं पार्क फेंसिंग की नहीं है,
और जिसपर कोई निर्माण नहीं हो रहा है
8- सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है :- नहीं
9- प्रतिफल की धनराशि :- 40,00,000/- रुपये







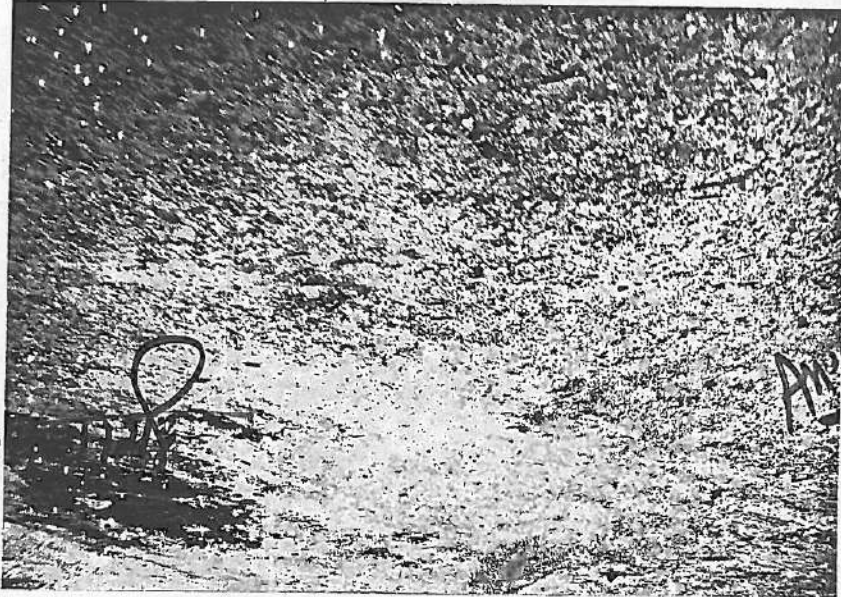



2050
7

ਅੰਗੀ ਨੁਕਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਾਸੇ
ਦਿਸ 354 - 1

ਮੁਕਾਮ

1260000
12.5. 2050
12.5. 2050



ਦੀ

ਅੰਗੀ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 233280

// 2 //

अखलाक

छोटा धरारी

09 DEC 2011

कोषागार, आगरा

- 10- नियमानुसार कीमत :- 40,00,000/- रुपया
 11- सीक्रेट रेट :- 4,000/- रुपया प्रति वर्गमीटर
 12- स्टाम्प तादादी :- 2,60,000/- रुपया १ हरदो महिला 1/2 भाग
 1/2 भाग १

घाँहददी :-

पूरब - जमीन श्रीमती बीना गुप्ता आदि ।

पश्चिम - रास्ता 9 मीटर चौड़ा व निकास ।

उत्तर - जमीन खसरा नंबर 115 १

दक्खिन - जमीन खसरा नंबर 115 १

विक्रेता :- कृष्ण सिंह पुत्र स्व० श्री नवल सिंह निवासी ग्राम जगनपुर बेला तहसील व जिला आगरा ।

क्रेता :- श्रीमती अन्नली गुप्ता पत्नी श्री० अजयकुमार गुप्ता निवासी स-15 इन्द्रपुरी न्यू आगरा शहर आगरा १ द्वारा मुख्तारनामा आम श्री० अजयकुमार गुप्ता पुत्र श्री० प्रमोदकुमार गुप्ता निवासी स-15 इन्द्रपुरी न्यू आगरा शहर आगरा किरिये मुख्तारनामा आम रजिस्ट्रीशुदा मुवरखा व मुसददका 1/12/2008 ई. जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबंधक १ प्रथम १ आगरा में मुन्दर्जा कही नंबर 4 जिल्द 878 सभा 61/72 नंबर 237 हुई है, और जिसके

421111
C. S. [illegible]
[illegible]

७
श्री गणेशाय नमः



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

// 3 //

A 233279

अखलाक
कोषाधिकारी
09 DEC 2011
कोषाधिकार, जगन्पुर

द्वारा मुख्तारआम मौसूम को नामबुर्दा मौसूम की जानिव से सम्पत्ति कृय करने के अधिकार प्राप्त है व श्रीमती नीलम गुप्ता पत्नी श्री० अनु गुप्ता निवासी स-15 इन्द्रपुरी न्यू आगरा शहर आगरा १ द्वारा मुख्तारआम श्री० अनु गुप्ता पुत्र श्री० प्रमोदकुमार गुप्ता निवासी स-15 इन्द्रपुरी न्यूआगरा शहर आगरा द्वारा मुख्तारनामा आम रजिस्ट्रीशुदा मुर्वरया व मुसीद्दका 6/9/2010 ई. जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय श्रीमान् उपनिबंधक १ प्रथम आगरा में मुन्दर्जा कही नंबर 4 जिल्द 895 सभा 85/98 नंबर 189 हुई है, और जिसके द्वारा मुख्तारआम मौसूम को नामबुर्दा मौसूम की जानिव से सम्पत्ति कृय करने के अधिकार प्राप्त है, जो आजतक कायम तथा बरकरार है, तथा प्रत्येक महिला क्रेता 1/2 भाग - 1/2 भाग कृय कर रही है।

जो कि जमीन क्तादाद 1000 एक हजार वर्गमीटर मिन० खसरा नंबर 115 वाकै ग्राम जगन्पुर मुस्तकिल तहसील व जिला आगरा - का विक्रेता कामूल अन्य जमीन वईद्राज कागजात अदालत माल तनहा मालिक, काबिज व दखोल है जो विक्रेता को पारिवारिक किमान के हक व हिस्से में आई है, जिसकी वाक्त विक्रेता को समस्त अधिकार स्वामित्व हरकिस्म के प्राप्त है, सिवाये विक्रेता के जमीन मजकूर का अन्य कोई हकदार व हिस्सेदार आदि किसी किस्म का नहीं है, कि जो विक्रेता क किसी भी अन्तरण आदि में कोई भी बाधा या रुकावट उत्पन्न कर सके, इसके अलावा जमीन मजकूर आजतक

(Signature)

(Signature)

(Signature)



7/21/21

राजेन्द्र प्रसाद षष्ठ
उपनिबन्धक (प्रथम)
आगरा सदर
12/12/2011 .



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

// 4 //

A 233278

अखलाक रू।

कोषाधिकारी

09 DEC 2011

कोषागार, जामरा

हर प्रकार के करों व वार व इंतकाल व मुआहिदा व एवं जमानत व लोन आदि से पूर्णतः स्वच्छ एवं मुक्त है, और जो नजूल या राजकीय आस्थान की भूमि नहीं है, अगर खिलाफ इसके कुछ जाहिर हो तो विक्रेता समस्त नतायज कानूनी का पालन व जिम्मेदार होगा, अब विक्रेता को उक्त 1000 वर्गमीटर जमीन कि जो संलग्न नक्शा दस्तावेज हाजा में वरंग लाल से जाहिर है का विक्रय करना वास्ते जरूरत स्थिति व क्रय करने अन्य रिहायशी जमीन व मिलने एक मुनासिब कीमत वक्त माँजूदा के मन्जूर है ।

लिहाजा विक्रेता ने उक्त जमीन को अपनी राजी व खुशी से बिना बहकाये, सिखाये व दवाब नाजायज के खूब सोच समझकर साथ तमाम हद्द व हकूक कुल जिम्मेदारी तथा गुडटायटिल की गारंटी के साथ बिना सेवन किये किसी मादक वस्तु के स्वेच्छा तथा प्रसन्नता पूर्वक स्वस्थ चित्त, मन, बुद्धि, इंद्रियों को स्वस्थावस्था में वरेका मुवलिंग 40,00,000/- चालीस लाख रुपया कि आधे जिसके मुका 20,00,000/- बीस लाख रुपया होते हैं, वदस्त श्रीमती - अन्नजली गुप्ता § 1/2 भाग उक्त जमीन § व श्रीमती नीलम गुप्ता § 1/2 भाग उक्त जमीन § उक्त क्रेतागण के वै काई की और बेच दी ।

(Signature)

(Signature)

(Signature)

2000/1 260000
मं. में शामिल है।

14/11/11

B. D. Singh
Chaudhary
7/11/11

विक्रेता

Registration No.: 6214

Year: 2011

Book No.: 1

0101 किताब सिंह
स्व नवल सिंह
जगनपुर आगरा
व्यापार



म. नवल सिंह
किताब सिंह

MS 030 00

म. नवल सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

// 5 //

A 233277

अखलाक खाँ

कोषाधिकारी

09 DEC 2011

कोषागार, बनारस

उक्त कीमत का कुल रूपया विक्रेता ने क्रेतागण से इसप्रकार कि मुवलिग 20,000/- बीस हजार रूपया नकद पेशतर बिना तहरीर मकान पर प्राप्त कर लिया है, जो जरेस्मन चैनामा हाजा में मुजरा व महसूब दिया, और बाकी मुवलिग 39,80,000/- उनतालीस हजार अस्सी हजार रूपया का एक किता सकाउन्टपेई पैक नंबर 295055 दिनांक 31/12/2012 ई. बैंक ऑफ इन्डिया ब्रांच न्यू आगरा वक्त रजिस्ट्री दस्तावेज हाजा समक्ष श्रीमान् सब रजिस्ट्रार साहब आगरा प्राप्त कर लिया ।

कब्जा व दखल जमीन मुवैया मजकूर पर वाकई मालिकाना विक्रेता ने उक्त क्रेतागण का करा दिया, और क्रेतागण को उसका मालिक मुस्तकिल बना दिया अब क्रेतागण को मजाज है कि उक्त जमीन में हस्व मन्शा अपने चाहे जैसी तामीरात करावे, और उसको अपने चाहे जिस प्रयोग में लावे और जिस प्रकार मुनासिब जानें, उससे वहीस्थित मालिकाना लाभान्वित होवे, या रहन विक्रय आदि जो चाहे सो करें, कुल अख्तयारात वाक्त जमीन मुवैया तनहा क्रेतागण को हक मालिकाना हरीकस्म हांस्ति है, और आयंदा रहेंगे, क्रेतागण जीस्ये दस्तावेज हाजा जमीन मुवैया पर अपने नाम का नामांकन महकमा मजाज में कराते, विक्रेता अपनी सहमति व हस्ताक्षर व च्यानात आदि बिना स्तराज दे देगा ।

अखलाक खाँ

अखलाक खाँ

अखलाक खाँ



2. ~~संलग्न विवरण में~~ ~~है~~ ~~से शामिल है।~~

11/11/11
P. P. Singh
Chaudhary

क्रेता

Registration No. : 6214

Year: 2011

Book No. : 1

0201 अजय गुप्ता मु0आम
प्रमोद गुप्ता
ए-15 इन्द्रपुरी आगरा
व्यापार



0202 अनु गुप्ता मु0आम
प्रमोद गुप्ता
ए-15 इन्द्रपुरी आगरा
व्यापार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

// 6 //

A 233276

अखलाक खाँ
कोषाधिकारी
09 DEC 2011
कोषाभार, आभार

अगर आयेंदा कभी कोई वारिस या दावेदार कानूनी या खानदानी या किमालतदार या हकदार व हिस्सेदार आदि किसी किस्म का पैदा होकर कोई दावा व झगड़ा उक्त क्रेतागण से करे, और उसकी वजह से जुज या कुल जमीन मुक्या कब्जा व दखल क्रेतागण से निकल जावे या किसी को कुछ रूपया अदा करना या देना पड़े या विक्रेता की कोई गलत घ्यानी जाहिर या साबित हो अथवा टायरिल में कोई नुकस पाया जावे तो ऐसी तमाम सूरतों में उसकी कुल जवाबदेही व जिम्मेदारी व अदायगी जरेस्मन मजकूर मयसूद व हर्ज खर्च व लागत के वजिम्मे जातखास व जायदाद चल व अचल हरकिस्म विक्रेता व वारिसान विक्रेता के है, और होगी, क्रेता व वारिसान उनके को मजाज होगा कि विधिवत वसूल करते, जिसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कुछ उज्ज किसी किस्म का नहीं होगा। नोट- अगर पैक का भुगतान समय पर नहीं होता है तो विक्रेता धारा 138 की कार्यवाही क्रेतागण के उपर नहीं करेगा।

(Handwritten signatures and stamps)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 233275

अखलाक खर्चा
कोषाधिकारी
09 DEC 2011
कोषागार, जालंधर

// 7 //

बलिक पंद्रह प्रतिशत व्याज लगाकर पैसा प्राप्त कर सकेगा ।
लिहाना यह पैनामा १ विक्रय वितेख १ बाद सुनने,

A handwritten signature and three fingerprints are visible on the document. The signature is written in a cursive style, and the fingerprints are placed below it.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 233274

// 8 //

अखलाक

कोषाधिकारी

09 DEC 2011

कोषागार, बनारा

समझने व पढ़ने जुमला मजमून लिख दिया कि सनद

रु. 20000

Amulya

Amulya





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 233273

अखलाक खा
कोषाधिकारी

09 DEC 2011

कोषागार, जामना

// 9 //

रहे, और वक्त जरूरत पर काम आवे ।

बिनास मिश्र

अखलाक खा

अखलाक खा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 233272

// 10 //

अखलाक

कोषाधिकारी

09 DEC 2011

कोषाधिकारी, जालावा

तेछ दिनांक 12 माह दिसम्बर सन् 2011 ई.

[Signature]

[Signature]

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 233271

अखलाक खॉ

होलाधिकारी

03 DEC 2011

होलागार, शादश

// 11 //

वसनांदा- राजेश कुमार गर्ग दस्तावेज लेखक निवासी बेलनगंज आगरा

राजेश कुमार गर्ग

Amg

Amg





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 233270

// 12 //

अखलाक खाँ

कोषाधिकारी

09 DEC 2011

कोषागार, आगरा

टापप बाई- प्रकाश चन्द्र शर्मा स्वर तहसील आगरा ।

अखलाक खाँ

Prakash Chandra Sharma

Amritya



(भारत सरकार के अधिनियम संख्या 48 वर्ष 2001 के अनुसार निवन्धन अधिनियम वर्ष 1908 की धारा 32-ए के निष्पत्ति
संलग्नक विलेख के पञ्चकार के फिंगर प्रिन्ट्स)

नाम :-

बाँये हाथ के फिंगर प्रिन्ट्स :-

विजय कुमार

कनिष्ठा अंगुली	अनामिका अंगुली	मध्यमा अंगुली	तर्जनी अंगुली	अंगुठा
				

दाँये हाथ के फिंगर प्रिन्ट्स :-

अंगुठा	तर्जनी अंगुली	मध्यमा अंगुली	अनामिका अंगुली	कनिष्ठा अंगुली
				

बाँये हाथ के फिंगर प्रिन्ट्स :-

विजय कुमार (सु. काम)

कनिष्ठा अंगुली	अनामिका अंगुली	मध्यमा अंगुली	तर्जनी अंगुली	अंगुठा
				

दाँये हाथ के फिंगर प्रिन्ट्स :-

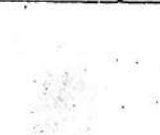
अंगुठा	तर्जनी अंगुली	मध्यमा अंगुली	अनामिका अंगुली	कनिष्ठा अंगुली
				

बाँये हाथ के फिंगर प्रिन्ट्स :-

विजय कुमार

कनिष्ठा अंगुली	अनामिका अंगुली	मध्यमा अंगुली	तर्जनी अंगुली	अंगुठा
				

दाँये हाथ के फिंगर प्रिन्ट्स :-

अंगुठा	तर्जनी अंगुली	मध्यमा अंगुली	अनामिका अंगुली	कनिष्ठा अंगुली
				



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 233269

// 13 //

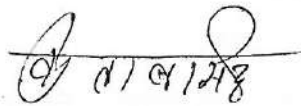
अखलाक खाँ

कोषाधिकारी

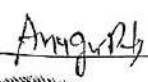
09 DEC 2011

कोषागार, आगरा

दस्तावेज हाजा विक्रेता एवं क्रेता के निर्देशानुसार तैयार किया गया ।

 ता. 12/12/11







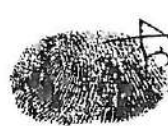
गवाह - सोमाराम उज्ज्वल मनीष सिंह

नि - वैष्णोप्रसाद मालवीय इमालदार आगरा

सोमाराम

गवाह - श्री मर्ग नर्मदा देवी पं० गौरी निवास सिंह

नि - प्रमोद लाल उरु बेला आगरा

 श्री मर्ग नर्मदा देवी

अखलाक खाँ का नाम - सोमाराम उज्ज्वल मनीष सिंह
आयतन नं० 21... आगरा जिला दिनांक 12-12-11
शुल्क - निशाना नं० 12345 आगरा
शुल्क रु० 500/-
जिला के दस्तावेज - राजेश कुमार राणा

115 फर्

(5)

2000/12/12/2011
73 से बाजित है।

12/12/11

12.12.2011

आज दिनांक 12/12/2011 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 7630
पृष्ठ सं. 321 से 350 पर क्रमांक 6214
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



राजेन्द्र प्रसाद प्र०

उपनिबन्धक (प्रथम)

आगरा सदर

12/12/2011